



**न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, उदयपुर**  
(पीठासीन अधिकारी : श्री छोगाराम देवासी, आर.ए.एस.)

प्रकरण स. : 12/2017 (राजस्व अपील)  
RCMS No. 2017/00039

**अनवान**

1. श्री बद्रीलाल पिता नाथुलाल कलाल, निवासी तहसील रोड़, खेरवाड़ा, जिला उदयपुर।

—प्रार्थी/अपीलान्त

**बनाम**

1. सरकार जरिये तहसीलदार खेरवाड़ा, जिला उदयपुर।

— विपक्षी/रेस्पोंडेन्ट

**उपस्थित**

1. श्री हर्षद जोशी, अधिवक्ता अपीलान्त।
2. श्री मनोज पंवार, राजकीय अधिवक्ता।

**अपील कार्यवाही अंतर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956**  
**अपील विरुद्ध न्यायालय तहसीलदार खेरवाड़ा, आदेश 10/2016 दिनांक 20.09.2017**

**\* निर्णय \***

दिनांक— 23-04-2018

प्रकरण मे संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि अपीलान्त ने इस न्यायालय मे एक प्रार्थना पत्र अपील अन्तर्गत धारा 75, राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 विरुद्ध आदेश तहसीलदार खेरवाड़ा, जिला उदयपुर निर्णय दिनांक 20.09.2017 प्रस्तुत कर निवेदन किया कि राजस्व ग्राम खेरवाड़ा छावनी, तहसील खेरवाड़ा के हाल आराजी संख्या 555 जिसके साबिक आराजी संख्या 452 हल्के आबादी का है तथा प्रत्यर्थी द्वारा दर्शायी गई हाल आराजी संख्या 869, जिसके साबिक आराजी संख्या 703 चूंकि दोनो आराजी भूमि पास पास होने से मात्र पटवारी की रिपोर्ट को आधार मानकर जो अधिनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय पारित किया है, वह सर्वथा गलत हैं। अपीलार्थी ने अपने स्तर पर अनुभवी विशेषज्ञ सेटलमेंट विभाग से सेवानिवृत्त अमीन से अपनी वास्तविक/तथ्यात्मक स्थिति जानने के लिये रिपोर्ट तैयार करवायी। इसके अतिरिक्त अधिनस्थ न्यायालय ने भी अपने स्तर पर भू प्रबंध विभाग उदयपुर के द्वारा भी वस्तुस्थिति की तथ्यात्मक रिपोर्ट साबिक हाल नक्शे बाबत् अधिकारिक रूप से प्राप्त की, जिसमे भी मामला अपीलान्त के विरुद्ध अतिक्रमण का नहीं बनना पाया गया। जब न्यायालय के समक्ष सारवान नक्शे बाबत् त्रुटि प्रत्यक्ष लाये गये, इसके पश्चात् भी अधिनस्थ न्यायालय ने इन्द्राज दुरस्ती का प्रकरण उपखण्ड अधिकारी खेरवाड़ा को प्रस्तुत करने के बजाय अपीलान्त के विरुद्ध धारा 91 की कार्यवाही करते हुए व अपीलान्त को अतिक्रमी मानते हुए भूमि से बेदखल करने का आदेश पारित किया। साबिक व हाल नक्शे की इमेज को देखने से यह प्रत्यक्ष ज्ञात होता है कि साबिक मे कम नाले की चौड़ाई को हाल नक्शे मे बढ़ा दिया गया हैं। सेटलमेंट की टीम द्वारा तैयार रिपोर्ट का पैरा संख्या 1 भी कथित त्रुटि को रेखांकित करता है। इस प्रकार अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय विधिनुकूल न होने से अपास्त किये जाने योग्य हैं।

प्रकरण बाद जॉच दर्ज रजिस्टर किया गया एवं विपक्षी को नोटिस/सूचना पत्र जारी किये गये व अधिनस्थ न्यायालय की मूल पत्रावली तलब की गई। प्रकरण में तहसीलदार द्वारा प्रकरण से संबंधित मूल पत्रावली संख्या 10/2016 इस न्यायालय को प्रेषित कर अवगत कराया कि राजस्व ग्राम खेरवाड़ा की जमाबंदी संवत् 2069-72 आ.न. 869 रकबा 1.0400हे. किस्म नाला बिलानाम सरकार दर्ज रेकॉर्ड है। अपीलान्त के विरुद्ध पटवारी हल्का खेरवाड़ा द्वारा पी-14 में की गई रिपोर्ट अनुसार आराजी संख्या 869 में 0.0072 हे. भूमि पर अवैध रूप से पक्का निर्माण कर अतिक्रमण किया है। बंदोबस्त विभाग की टीम द्वारा भी आराजी संख्या 869 में वर्तमान रेकॉर्ड के अनुसार अतिक्रमण की पुष्टि की है। बंदोबस्त विभाग की टीम अनुसार आराजी संख्या 703 जिसके हाल आराजी संख्या 869 किस्म नाला में मकान का पिछला हिस्सा जो पिलरो पर बना हो नाले में आता है। इस प्रकार अपीलान्त के विरुद्ध अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित किया गया निर्णय विधिसम्मत होने से यथावत रखा जाकर अपीलान्त का अपील प्रार्थना पत्र खारिज किया जावे। तहसीलदार से प्रकरण में पत्रावली प्राप्त होने पर प्रकरण में बहस हेतु तिथि नियत की गई।

बहस हेतु निर्धारित तिथि को उभय पक्ष के अधिवक्ता उपस्थित हुए, जिन्होंने क्रमशः अपने प्रार्थना पत्र व जवाब में वर्णित तथ्यों को दोहराया। हमने उभय पक्ष की बहस सुनी एवं अपीलान्त द्वारा प्रस्तुत अपील प्रार्थना पत्र, अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली एवं उनमें वर्णित तथ्यों आदि का गंभीरता से अध्ययन किया। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से यह ज्ञात होता है कि प्रकरण ग्राम खेरवाड़ा छावनी, तहसील खेरवाड़ा की साबिक आराजी संख्या 703, जिसके हाल आराजी संख्या 869 है किस्म नाला रकबा 1.0400हे. में से 0.0072हे. पर अपीलान्त द्वारा अतिक्रमण करने से संबंधित है। अपीलान्त द्वारा हाल आराजी संख्या 869 रकबा 1.0400हे. में से 0.0072हे. पर पक्का निर्माण कर अतिक्रमण करने पर पटवारी हल्का खेरवाड़ा द्वारा प्रस्तुत पी-14 की रिपोर्ट के आधार पर अपीलान्त के विरुद्ध धारा 91, भू राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत कार्यवाही की गई है। अपीलान्त को सुनवाई हेतु अवसर दिये जाने पर अपीलान्त द्वारा अपने जवाब में निर्मित भवन वर्तमान आराजी संख्या 555 किस्म आबादी में होना बताया। चूंकि वर्तमान आराजी संख्या 869 रकबा 1.0400हे. किस्म नाला व आराजी संख्या 555 किस्म आबादी आपस में सटे हुए हैं। भू प्रबंध विभाग द्वारा आराजी संख्या 869 की पैमाईश की गई। पैमाईश उपरान्त प्राप्त रिपोर्ट में भी अपीलान्त द्वारा किये गये अतिक्रमण की पुष्टि होती है। तहसीलदार द्वारा प्रस्तुत मौके के फोटो अनुसार भी तीन भवन जो पीछे का हिस्सा पिलरो पर बना हुआ है, वह साबिक खसरा संख्या 703 नाला व हाल खसरा संख्या 869 नाले में आता है, जिसमें एक मकान अपीलान्त का भी है। इस प्रकार अपीलान्त द्वारा प्राकृतिक बहाव क्षेत्र को अवरोध करने का प्रयास करने व विधिक प्रावधानों का उल्लंघन करने से अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार खेरवाड़ा द्वारा हाल आराजी संख्या 869 नाले में 0.0072हे. पर अपीलान्त का अतिक्रमण पाया जाने से अपीलान्त को भूमि से बेदखल करने का आदेश पारित किया है, जो नियमानुसार पाया जाता है।

अतः अपीलान्त द्वारा प्रस्तुत अपील प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 75, राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 खारिज किया जाता है एवं अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार खेरवाड़ा, जिला उदयपुर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 20.09.2017 को यथावत रखा जाता है। साथ ही तहसीलदार खेरवाड़ा को निर्देश प्रदान किये जाते हैं कि उक्त नाले पर दुबारा कोई कब्जे का प्रयत्न न करें एवं भविष्य में भी बिलानाम राजकीय भूमि पर अतिक्रमण करने वाले अतिक्रमियों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही की जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया। प्रकरण फैसल शुमार होकर नंबर से कम किया जावे।

(छोगाराम देवासी)  
अतिरिक्त जिला कलक्टर  
उदयपुर